तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/10/22	पत्रावली पेश हुई। अति० उपखण्ड अधि... कुम्हेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अव... किया गया। अवलोकन पश्चात पाया गया कि... कुर्रे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों द्वारा अपनी सहमति... प्रार्थी वादी का वाद मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट... फाइनल डिक्री किये जाने योग्य पाया है अ... वादी का वाद मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाइनल... डिक्री किया जाता है। निर्णय व डिक्री प्रपत्र... में तैयार कर प्रारम्भिक पत्रावली हो। पत्रावली... बैलस अनुसार होकर नम्बर से कम हो बाद अमल... दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी – राजीव शर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्या– 116/1990 (पुराना) व 181/1998 (पुराना) व 81/2018

उनवान वाद पत्र

कमलसिंह पुत्र मानसिंह जाति काछी निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर – मृतक

1/1.–खैमचन्द पुत्र कमलसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

1/2.– मुन्नी पुत्री कमलसिंह जाति कछवाया निवासी मदनपुर तहसील किरावली जिला आगरा उत्तर प्रदेश

1/3.– चन्दनियां पत्नि कमलसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज. – मृतक

बनाम

1.– मानसिंह पुत्र पूरना जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज. – मृतक

सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर) राज.

1/1.– मुस. बादामी वेवा मानसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास हाल आबाद खानुवां जिला भरतपुर, राज.

1/2.– नारायनी पुत्री मानसिंह पत्नि गिर्राज जाति काछी निवासी कलुआ का नगला तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

1/3.– चिरौजा पुत्री मानसिंह पत्नि गिर्राज जाति कछवाया निवासी सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर, राज.

1/4.– रामश्री पुत्री मानसिंह पत्नि हरीसिंह जाति कछवाया निवासी महल तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

2.–दौजी पुत्र मानसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर,राज. – मृतक

2/1 .– प्रेम वेवा दौजी जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

2/2.– धर्मा पुत्र दौजी जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

...ान किया
...स्ता.
...लिपिक

सहायक कलेक्टर

2/3 .– मुन्शी पुत्र दौजी जाति काछी निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

2/4.– राजनदेई पुत्री दौजी पत्नि महेश जाति कुशवाह निवासी बहरावली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर, राज.

2/5.– गुडडी पुत्री दौजी पत्नि भगवानदास जाति काछी निवासी मलाह तहसील व जिला भरतपुर, राज.

2/6.– समसा पुत्री दौजी पत्नि गुडडन जाति कुशवाह निवासी मलाह तहसील व जिला भरतपुर, राज.

3.– सिरमौहर पुत्र रामसरन जाति गूजर निवासी नगला बोसौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज. – मृतक

3/1.– श्रीफल – मृतक लाबल्द बिला औरत फोत

3/2.– भगवानसिंह

3/3.– दामोदर

3/4.– रज्जो

3/5.– रामनिवास

पुत्रान सिरमौहर जाति गूजर निवासी नगला बोसौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

सहायक कलेक्टर (भरतपुर) राज.

4.– केदार कौर पत्नि सम्पत जाति गूजर निवासी नगला बोसौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर,राज.

5.– सम्पत सिंह पुत्र रामसरन जाति गूजर निवासी नगला बोसौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज. – मृतक

5/1.– उदयभान पुत्र सम्पत जाति गूजर निवासी नगला बोसौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

6.– राजस्थान सरकार जरिये तामील सम्मन जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब रूपवास जिला भरतपुर, राज.

7.– बाबू लाल पुत्र चरनसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

8.– खूबीराम पुत्र चरनसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

सहायक कलेक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner

9.– मुस. बादामी पत्नि चरनसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज. – मृतक

9/1.– बाबू लाल पुत्र चरनसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

9/2.– खूबीराम पुत्र चरनसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

10.– कल्यानसिंह पुत्र करनसिंह जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

11.– बाबूलाल पुत्र रेवती जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज. – मृतक

11/1.– ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

11/2.– ओमदत्त पुत्र बाबूलाल जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

11/3.– उमेश चन्द पुत्र बाबू लाल जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

11/4.– अशोक पुत्र बाबू लाल जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

11/5.– अनिल पुत्र बाबूलाल जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

11/6.– अमित पुत्र बाबूलाल जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

11/7.– अमरचन्द पुत्र बाबू लाल जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

11/8 उर्मिला पुत्री बाबू लाल पत्नि भूपसिंह जाति कछवाया निवासी नगला देविया तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

11/9.– ओमश्री पुत्री बाबू लाल पत्नि लाल बहादुर जाति कछवाया निवासी नगला पीतू तहसील उच्चैन जिला भरतपुर, राज.

11/10.– उमेश्वरी पुत्री बाबू लाल पत्नि दिनेश चन्द जाति कछवाया निवासी खेरिया जाट तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner

12.– प्यारे पुत्र लौहरे जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.– मृतक

12/1.– तिम्मन पुत्र प्यारे जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

12/2.– नारायन पुत्र प्यारे जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

12/3.– अमरसिंह पुत्र प्यारे जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.

12/4.– नत्थो पुत्री प्यारे पत्नि प्रताप जाति कछवाया निवासी सूपरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राज.हाल आबाद एक्टा तहसील व जिला भरतपुर. राज.

12/5.– अनारदेई पुत्री प्यारे पत्नि श्यामसिंह जाति कछवाया निवासी बनौरा का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर राज.

दावा वावत डिकलेरेसन व डिवीजन आफ होल्डिग
व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–

1. श्री मुकेश चन्द एडवोकेट – अभि0 वादी
2. श्री सचिन शर्मा एडवोकेट – अभि0 प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः–

वाद पत्र कमलसिंह बनाम मानसिंह के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के बाबा पूरना के कब्जे काश्त व खातेदारी की छोडी हुयी आराजी खसरा नम्बर 254 रकवा 1.5 बीघा , 274 रकवा 2.13 बीघा, 248 रकवा 1.19 बीघा, 270 रकवा 1.16 बीघा, 271 रकवा 1.00 बीघा, 278 रकवा 1.10 बीघा, 279 रकवा 1.05 बीघा, 281 रकवा 1.14 बीघा, 672 रकवा 4.01 बीघा, 791/262 रकवा 1.01 बीघा, 283 रकवा 1.01 बीघा, 797/297 रकवा 3.02 बीघा, कुल किता 12 रकवा 22.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 670 रकवा 2.00 बीघा, 239 रकवा 0.15 बीघा, 133 रकवा 1.11 बीघा, 261 रकवा 2.05 बीघा, 273 रकवा 4.19 बीघा, 250 रकवा 3.00 बीघा किता 6 रकवा 14.10 बीघा, सालिम व खसरा नम्बर 939 रकवा 5.13 बीघा से निस्फ ग्राम सूपरा तहसील रूपवास में स्थित है। वादी द्वारा विवादित आराजी को पैत्रिक आराजी मानते हुये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मानसिंह एवं प्रतिवादी सेख्या 2 दौजी तीनो को ही बाहिस्सा बराबर का सह खातेदार मानते हुये दावा पेश किया है तथा आराजी मे 1/3 हिस्सा का खातेदार होने की सहायता के साथ आराजी को विभाजन करने व स्थाई निषेधाज्ञा की

Scanned with ACE Scanner

दादरसी भी चाही गयी है। वादी द्वारा वाद पत्र की मद नम्बर 4 में यह भी वर्णित किया है कि प्रतिवादी संख्या एक ने आराजी खसरा नम्बर 133, 261, 273, सालिम व 939 से 1/2 हिस्सा वर्ष 1976 में प्रतिवादी संख्या 4 केदार कौर को व खसरा नम्बर 250 का सन 1975 में प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 सिरमौहर को परिवार की बिना आवश्यकता के वादी से छिपाते हुये विक्रय कर दिया है। तथा दौराने वाद खसरा नम्बर 672, 270, 271, 791/262, 281 का विक्रय प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 को कर दिया है उक्त विक्रय पत्र पूरी तरह अवैध है व वादी के लिये बेअसर है जिनको वाद पत्र में एव इनीसियो वोइड करार करने की सहायता चाही गयी है।

प्रतिवादी गण ने अपने संयुक्त व कुछ के द्वारा अलग अलग जबाब देही प्रस्तुत करते हुये वादी के वाद को नकारा है तथा आराजी को मानसिंह की स्वंय की जायदाद मानते हुये व आराजी को पैत्रिक आराजी होने से इन्कार करते हुये जबाब दावा पेश किये है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 को विक्रय पत्र कराने के वाद वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 को पक्षकार बनाया गया है व विक्रय पत्रो को वोइड कराने के लिये दावा में संशोधन कराया गया है न्यायालय द्वारा वादी को वाद पत्र में संशोधन की इजाजत देने के वाद वादी ने दिनांक 9.5.2000 को संशोधित वाद पत्र पेश किया है। जिसका जबाब दावा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 के द्वारा प्रस्तुत करते हुये विवादित आराजी को वादी की पैत्रिक आराजी होने से इन्कार किया है व आराजी का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने पारवारिक जरुरतो के लिये टैक्टर के लौन को चुकता करने को किया है का कथन किया है तथा मौके पर अपना कब्जा होनाा कथन करते हुयें न्यायालय के स्थगन के कारण नामान्तकरण अपने नाम दर्ज नही होना कथन किया है। तथा यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 के पक्ष मे हुये विक्रय पत्र वोइड नही होकर वोईडेविल है जिनको श्रवण अधिकार दीवानी न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को नही है।

दौराने वाद वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 5 एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 11 व 12 को देहान्त हो गया है। जिनके विधिक प्रतिनिधी रिर्काड पर लिये गये है व तलब किये गये है तथा दौराने वाद वादी के विधिक प्रतिनिधी से चन्दनिया का व प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 3 के विधिक प्रतिनिधी श्रीफल का देहान्त हो जाने पर उनके विधिक प्रतिनिधी को रिर्काड पर लिया गया है। प्रकरण की अन्तिम स्टेज पर केवल प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 व 12 स्वंय अथवा उनके विधिक प्रतिनिधीयो के द्वारा वाद पत्र को कन्टैस्ट किया गया है अन्य के विरुध्द एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है।

वाद पत्र की टायल में वादी के द्वारा अपनी ओर से पी डब्लू एक खैमसिंह पी डब्लू – 2 रामखिलाडी, पी डब्लू– 3 प्रधानसिंह व पी डब्लू– 4 कल्यानसिंह को परीक्षित कराया है व दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में प्रर्दश

सहायक कलेक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner

– 1 खेवट खतौनी सम्वंत 2005, प्रर्दश – 2 नकल जमाबन्दी सम्वंत 2041 से 2044, जमाबन्दी सम्वंत 2041 से 2044 जमीन सिरमौहर, को बेची उसकी नकल जमाबन्दी प्रर्दश – 3 व जमाबन्दी सम्वंत 2041 से 2044 जो सम्पत को बेची प्रर्दश – 4, व नकल जमाबन्दी सम्वंत 2041 से 2045 प्रर्दश – 5, व जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 प्रर्दश – 6, प्रर्दश – 7 नकल वयनामा 13.7.1976 व प्रर्दश – 8 नकल वयनामा 29.1.1978 व प्रर्दश – 9 फर्द मौका है। प्रतिवादी गण संख्या 7 से 12 को हुये विक्रय पत्रो की नकल भी प्रस्तुत की गयी है जिनको प्रतिवादी गण नेप्रर्दश कराया है। प्रतिवादी गण संख्या 7 से 10 व 12 की ओर से साक्ष्य के रुप में बाबू लाल , अमरसिंह, व बुध्दाराम को परीक्षित कराया गया है। दौराने वाद दिनांक 15.7.1992 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा भी हुआ है जिसमें विवादित आराजी से वादी के नाम कौन से खसरा नमबर रहेगे अंकित किये गये है व शेष खसरा नम्बर मानसिंह के जीवन काल में मानसिंह के व वाद में दौजी के नाम रहेगे का राजीनामा हुआ है जिसको न्यायलय द्वारा तस्दीक किया है। जो सामिल पत्रावली है।

दौराने वाद दिनांक 09.05.2000 को प्रकरण में उक्त वाद जो इन्ही पक्षकारों के मध्य था दौजी बनाम मानसिंह कन्सौलीडेट किया गया है। अतः दोनो दावो के दावा व जबाब दावा के आधार पर दिनांक 25.10.2002 को कुल 9 तनकी कायम की गयी है। दिनांक 19.04.222 को पत्रावली में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। समेकित वाद कमांक 98/93 उनवान दौजी बनाम कमलसिंह को खारिज किया गया। एवं वादपत्र संख्या 81/2018 उनवान कमलसिंह बनाम मानसिंह को राजीनामा के आधार पर प्राथमिक रूप से डिकी होकर प्रकिया जाकर विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार रूपवास को लिखा गया। दिनांक 11.10.2022 को तहसीलदार रूपवास से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। दिनांक 18. 10.2022 को विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा तहसीलदार रूपवास से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुरे रिपोर्ट अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। कुरे रिपोर्ट डिकी का जुज रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजीव शर्मा(आर०ए०एस०)
सहायक कलक्टर
उच्चैन

Scanned with ACE Scanner